प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 28.06.2025

थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा चोरी/एटीएम लूट की घटना को कारित करने वाले 02 अभियुक्त को पुलिस मुठभेड़ में घायल/गिरफ्तार, व कब्जे से छोटा सिलेण्डर , एक ऑक्सीजन सिलेण्डर , लाल मिर्ज पाउडर , माचिस , पाईप , धारदार हथियार एवं घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल एवं अवैध अस्लाह व कारतूस बरामद ।

दिनांक 28.06.2025 की रात्रि में थाना विजयनगर पुलिस टीम द्वारा माधौपुर तिराहे पर चैकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार दो व्यक्ति को पुलिस द्वारा रोकने का प्रयास किया गया किन्तु नही रूके । मोटर साइकिल सावर व्यक्ति द्वारा मोटर साइकिल को बांयी ओर मोडकर आर्मीग्राउण्ड की तरफ भागने लगे । जिसका पीछा पुलिस द्वारा किया तथा मोटर साइकिल सवार दोनों व्यक्ति आर्मीग्राउण्ड में अनियन्त्रित होकर गिर गये । जिनको पुलिस पार्टी द्वारा आत्मसर्मपण हेतु कहा गया तो पुलिस पार्टी को अपने पास आता देख बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर करते हुये भागने का प्रयास किया गया । जिसमें आत्मरक्षार्थ में पुलिस पार्टी द्वारा भी सिखलाये गये तरीके से बदमाश पर फायरिंग की गयी जिसमें एक बदमाश घायल हो गया तथा एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भागने लगा जिसे पुलिस द्वारा मौके से पकड गया । घायल अभियुक्त **कबीर पुत्र नवाब निवासी मोहल्ला पठान कोट थाना बडौता जिला बागपत(मुठभेड में घायल) व अभियुक्त सचिन चौधरी पुत्र बिजेन्द्र निवासी राजपाल का मकान मोपटी राजनगर एक्सटेंसन जिला गाजियाबाद मूल पता गांव अजनारा थाना सिकारपुर जिला बुलन्दशहर** मौके पर ही मोटर साइकिल एवं अवैध अस्लाह एवं अन्य सामान के साथ गिरफ्तार किया गया। घायल अभियुक्त **कबीर पुत्र नवाब** को उपचार हेतु जिला एमएमजी गाजियाबाद होस्पिटल में भर्ती कराया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्तगण ने पूछताछ पर बताया कि साहब हम दोनो एनसीआर क्षेत्र में मोटर साइकिल चोरी करके उसका प्रयोग करके एटीएम मशीन को गैस सिलेण्डर का प्रयोग करके उसे काटकर उससे पैसे निकाल लेते है । तथा आपस में बांट लेते है । आज भी हम दोनों किसी घटना की फिराक में घूम रहे थे कि पुलिस द्वारा हमें पकड लिया गया ।

नाम पता अभियुक्तः -

1. **कबीर पुत्र नवाब निवासी मोहल्ला पठान कोट थाना बडौता जिला बागपत उम्र 26 वर्ष ।**
2. **सचिन चौधरी पुत्र बिजेन्द्र निवासी राजपाल का मकान मोपटी राजनगर एक्सटेंसन जिला गाजियाबाद मूल पता गांव अजनारा थाना सिकारपुर जिला बुलन्दशहर उम्र 27 वर्ष ।**

बरामदगी का विवरणः-

1. घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल UP14EL4138 स्पलेण्डर घटना में प्रयुक्त ।
2. एक सिलेण्डर छोटा, एक सिलेण्डर ऑक्सिजन , एक पाईप , माचिस , लाल मिर्च पाउडर ,
3. एक धारदार हथियार (गडसा)
4. 01 अवैध तमंचा 315 बोर , 01 जिन्दा कारतूस , 01 खोखा कारतूस 315 बोर (मुठभेड़ में बरामद)

गिरफ्तार एवं बरामदगी करने वाली पुलिस टीमः-

थाना विजयनगर पुलिस टीम कमिश्नरेट गाजियाबाद ।

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा दो पहिया वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

दिनाँक 19.04.2025 को थाना कौशाम्बी पर वादी आलोक गुप्ता पुत्र स्व0 श्री सुरेन्द्र कुमार निवासी जी-1 प्लांट नं0 770 सेक्टर 05 वैशाली थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनाँक 16.04.2025 को मेरी स्कूटी को अज्ञात व्यक्ति द्वारा निवास पार्किंग से चोरी कर लिया गया है। वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कौशाम्बी पर धारा 305 बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। दिनाँक 11.08.2024 को थाना कौशाम्बी पर वादी सुरेन्द्र कुमार रैकवार पुत्र श्री हरलाल रैकवार निवासी राजीव नगर खोड़ा कॉलोनी थाना खोड़ा जनपद गाजियाबाद द्वारा लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 22.06.2024 को अज्ञात व्यक्ति द्वारा मेरी मोटर साइकिल को चोरी कर लिया गया है थाना कौशाम्बी पर धारा 379 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया। मैनुअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर दिनाँक 27.06.2025 को उक्त घटना को कारित करने वाला शातिर अभियुक्त कमाल कुरैशी पुत्र शाबुद्दीन हाल पता 1203 गली नं0-5 परवाना रोड खुरैजी खास थाना जगतपुरी दिल्ली हाल पता 36/3 आराम पार्क शास्त्री नगर थाना गीता कॉलोनी दिल्ली उम्र करीब 53 वर्ष को सनवैली स्कूल के गेट नं0-1 के सामने वाले रोड से गिरफ्तार किया गया। जिसके कब्जे से चोरी की 01 स्कूटी व अभियुक्त की निशानदेही पर मैक्स हास्पिट के पीछे झाड़ियों से बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त कमाल कुरैशी के विरुद्ध धारा 317(2) बीएनएस की बढ़ोत्तरी कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- गिरफ्तार अभियुक्त कमाल कुरैशी से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आये कि अभियुक्त से बरामद उक्त स्कूटी को करीब दो महिने पहले सेक्टर 05 वैशाली थाना कौशाम्बी से चोरी किया था तथा मोटर साइकिल को दिनांक 22.06.2024 को वैशाली से चोरी किया था जिसे मैक्स हास्पिट के पीछे झाड़ियों में छिपा दिया थी अभियुक्त कमाल कुरैशी दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में दो पहिया वाहन चोरी की घटनाओं को कारित करता है। दिनांक 27.06.2025 को अभियुक्त कमाल कुरैशी स्कूटी को बेचने की फिराक में सनवैली स्कूल के गेट नं0-1 के आस पास घूम रहा था।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:
कमाल कुरैशी पुत्र शाबुद्दीन हाल पता 1203 गली नं0 5 परवाना रोड खुरैजी खास थाना जगतपुरी दिल्ली हाल पता 36/3 आराम पार्क शास्त्री नगर थाना गीता कॉलोनी दिल्ली उम्र करीब 53 वर्ष।

बरामदगी का विवरण:-

- चोरी की 01 स्कूटी व अभियुक्त की निशानदेही पर चोरी की 01 मोटर साइकिल बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त काआपराधिक इतिहास:-

- गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर चोरी के 02 अभियोग पजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-
थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चोरी की स्कूटी के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

आज दिनांक 28.06.2025 को थाना अंकुर विहार पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी की घटना कारित करने वाला अभियुक्त वासिद पुत्र रियाजउद्दीन निवासी गली न0-13,

भागीरथी विहार, दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष को संतनगर बिजलीघर डीएलएफ थाना क्षेत्र अंकुर विहार से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई 01 स्कूटी बरामद की हुई। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त वासिद उपरोक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि यह स्कूटी मैंने कुछ दिन पहले झिलमिल क्षेत्र दिल्ली से चोरी की थी तथा इसे अभी तक छिपा कर रखा था। आज मैं इस स्कूटी को बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में जा रहा था कि पुलिस चेकिंग में पकड़ा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–

वासिद पुत्र रियाजउद्दीन निवासी गली न0-13, भागीरथी विहार, दिल्ली, उम्र करीब 22 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से दिल्ली से चोरी की गई 01 स्कूटी बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना अंकुर विहार पर उपरोक्त बरामदगी के संबंध में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा उक्त वाहन चोरी के संबंध में दिल्ली में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम-

थाना अंकुर विहार पुलिस टीम।

थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस द्वारा जनपद देवरिया के गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित 25000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

आज दिनांक 28.06.2025 को थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर पर जनपद देवरिया से 25000/- का पुरस्कार घोषित अपराधी कमल उर्फ कमालुद्दीन पुत्र बक्शी निवासी ग्राम घमरावली खानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर, उम्र करीब 45 वर्ष को चित्रावन सोसायटी के पास थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से अवैध चाकू बरामद हुआ। उक्त अवैध चाकू की बरामदगी के आधार पर थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर धारा 4/25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण–

अभियुक्त द्वारा पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने जनपद देवरिया में हत्या का प्रयास व गौकशी जैसे अपराध कारित किये हैं जिनमें मैं पूर्व में जेल भी जा चुका हूँ। वर्तमान में मैं थाना रामपुर कारखाना जनपद देवरिया के गैंगस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था तथा जनपद देवरिया पुलिस द्वारा मुझ पर 25000/- का पुरस्कार घोषित कर रखा था इसलिए पुलिस से बचने के लिए यह अवैध चाकू लेकर इधर से उधर छिपता घूम रहा था। **गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता–**

कमल उर्फ कमालुद्दीन पुत्र बक्शी निवासी ग्राम घमरावली खानपुर थाना कोतवाली देहात जनपद बुलंदशहर, उम्र करीब 45 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पर अवैध चाकू बरामदगी के आधार पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा थाना रामपुर कारखाना जिला देवरिया में गैंगस्टर एक्ट, हत्या का प्रयास व गोकशी के 03 अभियोग पंजीकृत हैं। (कुल अभियोग -04)। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम---- थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस टीम।

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा दुष्कर्म के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 25.06.2025 को थाना मुरादनगर पर वादी द्वारा तहरीर दी गयी कि अभियुक्त मतीन द्वारा वादी की पुत्री उम्र करीब 19 वर्ष की वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देकर अपने जाल में फंसाकर 03 वर्ष से यौन शोषण करना तथा वादी की पुत्री द्वारा मतीन के भाईयों से मतीन की शिकायत करने पर वादी की पुत्री के साथ मतीन के भाईयों द्वारा भी अवैध संबंध बनाना। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना मुरादनगर पर तत्काल धारा 77/308(2)/64/351(3) बीएनएस व 3/4 पोक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया।

तत्पश्चात दिनांक 27.06.2025 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा मैनअल इनपुट व मुखबिर की सूचना के आधार पर उपरोक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त मतीन पुत्र मौहम्मद उमर निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त मतीन ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैं करीब 04 साल पहले वादी के यहाँ ट्रैक्टर ड्राइविंग का कार्य करता था। उसी दौरान मेरी जान पहचान वादी की पुत्री से हो गयी थी और मैंने उसकी नहाते समय की वीडियो बना ली थी और वीडियो दिखाकर उसे ब्लैकमेल करके उसका शारीरिक शोषण करता था।

गिरफ्तार अभियुक्त नाम व पता –

मतीन पुत्र मौहम्मद उमर निवासी ग्राम नेकपुर थाना मुरादनगर गाजियाबाद उम्र करीब 30 वर्ष

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना मुरादनगर पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम।

यातायात पुलिस द्वारा विशेष अभियान के अंतर्गत प्रवर्तन की कार्यवाही

पुलिस आयुक्त, कमिश्नरेट गाजियाबाद महोदय के निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा/यातायात नियमों का शत प्रतिशत पालन सुनिश्चित कराने एवं कानून व्यवस्था के दृष्टिकोण से यातायात पुलिस द्वारा दिनांक 27-06-2025 व 28-06-2025 को कमिश्नरेट गाजियाबाद के तीनों जोन में विपरीत दिशा में वाहन चलाना, बिना हेलमेट, तीन सवारी, प्रतिरूपित नंबर प्लेट अथवा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट एवं चार पहिया वाहनों पर ब्लैक फिल्म के विरुद्ध दो दिवसीय विशेष अभियान चलाया गया। अभियान के अंतर्गत सहायक पुलिस आयुक्त, यातायात द्वारा स्वंय इंदिरापुरम क्षेत्र में यातायात निरीक्षक चतुर्थ के साथ भ्रमणशील रहकर मुख्य मार्गों, मार्केट आदि स्थानों पर चालानी कार्यवाही करायी गयी। अभियान के अंतर्गत यातायात पुलिस द्वारा प्रभावी चेकिंग/प्रवर्तन की कार्यवाही करते हुए विपरीत दिशा के कुल 317 चालान, बिना हेलमेट के कुल 1168 चालान, तीन सवारी के कुल 409 चालान, प्रतिरूपित नंबर प्लेट अथवा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के कुल 311 चालान एवं चार पहिया वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगी होने के कारण कुल 172 चालान की कार्यवाही की गयी।

यातायात पुलिस सभी आमजनों/वाहन चालकों से अनुरोध करती है, कि सदैव यातायात नियमों का पालन करें एवं कभी भी विपरीत दिशा में वाहन न चलाएं, बिना हेलमेट, तीन सवारी, प्रतिरूपित नंबर प्लेट अथवा बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, चार पहिया वाहनों पर ब्लैक फिल्म का प्रयोग कर वाहन न चलाएं, अन्यथा की स्थिति में यातायात पुलिस द्वारा कठोर कार्यवाही की जाएगी।